न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या: 132/2023(जी.सी.एम.एस.2023/135)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. नमनजीत कौर पत्नी चननजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. लाभ सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. चननजीत सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।	1. दर्शन सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. सुखदेव कौर पत्नी सुखमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. हरदेव सिंह पुत्र काका सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 4. लखविन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 23.01.2023

उपस्थित: 1.श्री इन्द्राज कुमार सेजू अधिवक्ता वादी
2.श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3.श्री अशोक कुमार जोशी प्रतिवादी संख्या 4

दिनांक: 12.02.2024

——निर्णय——

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 20/41 के मुरब्बा नम्बर 18, 23, 35, 53/25, 53/35 की कुल 14.313 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त मुश्तर्का खाता की भूमि में से वादी संख्या 1 नमनजीत कौर के नाम 2.005 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 लाभ सिंह के नाम 1.789 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 चननजीत सिंह के नाम 5.368 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त विवादित भूमि मुश्तर्का खाता की भूमि है। जिसके प्रत्येक खातेदार का मुश्तर्का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होता है। वादीगण वाहमी बंटवारानामा अनुसार अपने-अपने हिस्सा की भूमि पर काफी समय से शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध रूप से काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण पारस्परिक सम्पति विभाजन के अनुसार अपने हिस्सा में आये किलाजात पर काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादी को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाना चाहता है। वादीगण ने आज से 5 रोज पूर्व प्रतिवादी को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 20/41 के मुरब्बा नम्बर 18, 23, 35, 53/25, 53/35 की कुल 14.313 हैक्टेयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में आई भूमि का लगान व खाता अलग से कायम किए जाने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 20/41 के मुरब्बा नम्बर 18, 23, 35, 53/25, 53/35 की कुल 14.313 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम 1.075 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 सुखदेव कौर के नाम 1.391 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 हरदेव सिंह के नाम 1.690 हैक्टेयर का अलग से खाता व लगान कायम किए जाने के आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 20/41 के मुरब्बा नम्बर 18, 23, 35, 53/25, 53/35 की कुल 14.313 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह के नाम 0.995 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने पर जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम सहमति का है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 20/41 के मुरब्बा नम्बर 18, 23, 35, 53/25, 53/35 की कुल 14.313 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 नमनजीत कौर के नाम 2.005 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 लाभ सिंह के नाम 1.789 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 चननजीत सिंह के नाम 5.368 हैक्टेयर भूमि, व प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम 1.075 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 सुखदेव कौर के नाम 1.391 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 हरदेव सिंह के नाम 1.690 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह के नाम 0.995 हैक्टेयर भूमि हिस्सा में आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। प्रतिवादी संख्या 3 हरदेव सिंह व प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह की भूमि का न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, श्रीकरणपुर में विचाराधीन होने के कारण उनके खाता की भूमि बदस्तूर रखा जाना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

अधिकारी (राजस्व)

नमनजीत कौर आदि बनाम दर्शन सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए,
प्रकरण संख्या 132/2023

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 20/41 के मुरब्बा नम्बर 18, 23, 35, 53/25, 53/35 की कुल 14.313 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 नमनजीत कौर के नाम 2.005 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 लाभ सिंह के नाम 1.789 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 चननजीत सिंह के नाम 5.368 हैक्टेयर भूमि, व प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम 1.075 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 सुखदेव कौर के नाम 1.391 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 हरदेव सिंह के नाम 1.690 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह के नाम 0.995 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	नमनजीत कौर पत्नी चननजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।(5.368 है.) लाभ सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।(1.789 है.) चननजीत सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।(1.557 है.)	12 ओ	18	1 ता 4	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				5	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.01
				6	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.01
				7 ता 10	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				11 ता 13	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				14/1	0.210 हैक्टेयर	नहरी	1.87
				18/1	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
				19 ता 22	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
			23	2/1	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
				3,8,13	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
			35	1 ता 4	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				5/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				5/2	0.088 हैक्टेयर	नहरी	0.78
				6,8,9	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				7/1	0.088 हैक्टेयर	नहरी	0.78
				7/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				10	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				21/1	0.114 हैक्टेयर	नहरी	1.01
				21/2	0.088 हैक्टेयर	नहरी	0.78
				22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			53/25		0.107 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			53/35		0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	दर्शन सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (1.075है.)	12 ओ	23	2	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.69
				9,12,18	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				23/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
3	सुखदेव कौर पत्नी सुखमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (1.391 है.)	12 ओ	35	10/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				11,12	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				13/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				13/2	0.088 हैक्टेयर	नहरी	0.78
				14,15	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
			53/25		0.039 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

(राजस्व)

...ा एंव रहन **बदस्तूर रहेगा**। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष **चन्द्र** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सेरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ (श्रीगंगानगर) श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

नमनजीत कौर आदि बनाम दर्शन सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **53, 88, 91** आरटीए मुकदमा नम्बर **132/2023**

निर्णय दिनांक :- 12.02.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 20/41 के मुरब्बा नम्बर 18, 23, 35, 53/25, 53/35 की कुल 14.313 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 नमनजीत कौर के नाम 2.005 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 2 लाभ सिंह के नाम 1.789 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 चननजीत सिंह के नाम 5.368 हैक्टेयर भूमि, व प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम 1.075 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 सुखदेव कौर के नाम 1.391 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 3 हरदेव सिंह के नाम 1.690 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 4 लखविन्द्र सिंह के नाम 0.995 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	नमनजीत कौर पत्नी चननजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।(5.368 है.) लाभ सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।(1.789 है.) चननजीत सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।(1.557 है.)	12 ओ	18	1 ता 4	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				5	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.01
				6	0.227 हैक्टेयर	नहरी	2.01
				7 ता 10	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				11 ता 13	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				14/1	0.210 हैक्टेयर	नहरी	1.87
				18/1	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
				19 ता 22	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
			23	2/1	0.063 हैक्टेयर	नहरी	0.56
				3,8,13	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
			35	1 ता 4	1.012 हैक्टेयर	नहरी	9.00
				5/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				5/2	0.088 हैक्टेयर	नहरी	0.78
				6,8,9	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				7/1	0.088 हैक्टेयर	नहरी	0.78
				7/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				10	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				21/1	0.114 हैक्टेयर	नहरी	1.01
				21/2	0.088 हैक्टेयर	नहरी	0.78
				22	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				23	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
				24	0.228 हैक्टेयर	नहरी	2.03
			53/25		0.107 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			53/35		0.051 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	दर्शन सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (1.075है.)	12 ओ	23	2	0.190 हैक्टेयर	नहरी	1.69
				9,12,18	0.759 हैक्टेयर	नहरी	6.75
				23/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
3	सुखदेव कौर पत्नी सुखमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (1.391 है.)	12 ओ	35	10/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				11,12	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				13/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				13/2	0.088 हैक्टेयर	नहरी	0.78
				14,15	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
			53/25		0.039 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 15.02.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	504	**00**	**योग**	**04**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2024/45 दिनांकः 15.02.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)